क्रमांक 2 (12)-2जी0ए स0-III-79

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

1. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मंडल,
सभी उपायुक्त तथा उप-मंडल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट तथा हरियाणा राज्य
के सभी जिला एवं सत्रन्यायधीश ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 11 जनवरी 1980

विषय :— निलम्बित कर्मचारियों के केसों का शीघ्रता से निपटान करने बारे हिदायतें—18 मास से अधिक अवधि से निलम्बित कर्मचारियों की सूची मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत करने बारे ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 53375 जी0 एस0 1-74/24093 दिनांक 21 अक्तूबर, 1974 की ओर आकर्षित करू और कहूं कि इस पत्र में दी गई हिदायतों के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी 18 मास से अधिक समय से निलम्बित हों उनके बारे में मासिक विवरण मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत करने हेतु चौकसी विभाग को भेजा जाता है । सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार किया है और निर्णय लिया गया है कि भविष्य में 18 मास से अधिक समय से निलम्बित कर्मचारियों के मामलों का विवरण चौकसी विभाग की बजाए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत किया जाये । अतः आपसे अनुरोध है कि अपेक्षित विवरण संलग्न प्रोफार्मा में चौकसी विभाग की बजाए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे ।

2. इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें ।

राम प्रकाश

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक एक प्रति वितायुक्त राजस्व, हरियाणा तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव :—